न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी : श्री अजय कुमार आर्य, आर.ए.एस

अपील संख्या 139/2025

ओमप्रकाश पुत्र नागरमल जाति माली निवासी मोडी, मेहाड़ा जाटूवास, तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज.)।

—अपीलान्ट—

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज.)।

—रेस्पोडेन्ट—

अपील अ. धारा 75 राज0 भू—राजस्व अधिनियाम 1956 अपील खिलाफ निर्णय दिनांक 08.10.2025 न्यायालय तहसीलदार, तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनू प्रकरण संख्या 12/2025 उनवानी सरकार बनाम ओमप्रकाश पुत्र नागरमल अ0 धारा 91 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956।

उपस्थितिः—

1. श्री अनवर हसन, एडवोकेट...........................अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अधिवक्ता..........रेस्पोडेन्ट की ओर से।

—निर्णय— दिनांक : 30.04.2026

पत्रावली पेश हुई। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम मोडी स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 396/167 रकबा 3.21 हैक्टर के रकबा 0.0150 हैक्टर पर अप्रार्थी ने पक्का मकान बनाकर व चार दिवारी निर्माण कर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल अपीलान्ट को धारा 91 एल.आर. एक्ट के तहत नोटिस जारी किया गया। तत्पश्चात अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट उपस्थित हुआ तथा अपीलान्ट की ओर से जवाब नोटिस पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया। अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 91 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू नहीं होते है तथाकथित अतिक्रमण बताया है वह अतिक्रमण है ही नही। अपीलान्ट अपने पूर्वजों के समय से ही पुख्ता मकानात बनाकर आबाद है अपीलान्ट की कई पीढीया उक्त भूमि पर रहवास करते हुए चली आ रही है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को साक्ष्य पेश किये जाने हेतु पर्याप्त अवसर नहीं दिये गये और बिना साक्ष्य लिये ही उक्त आदेश पारित कर दिया। जबकि अपीलान्ट के पास बहुत से दस्तावेजी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू

साक्ष्य उपलब्ध है। अपीलान्ट ने जिस भूमि पर पुख्ता मकान बना रखे है वह अपीलान्ट के पूर्वजों की भूमि है तथा पैत्रिक सम्पति है अपीलान्ट अपने पूर्वजों की तीसरी पीढी में आता है उक्त भूमि पूर्वजों के नाम से तहसीलदार महोदय द्वारा पट्टा भी जारी किया हुआ है तथा कुछ भूमि वगैर पट्टे की है जिसके बाबत अपीलान्ट ने पट्टा प्राप्त करने हेतु ग्राम पंचायत में आवेदन कर रखा है जो विचाराधीन है तथा अपीलान्ट के उक्त मकानो में काफी पुराने समय से बिजली व पानी के कनेक्शन है जो आज भी सूचारू रूप से चालू है तथा पूरा मोहल्ला का मोहल्ला बसा हुआ है जिसमें अपीलान्ट के घर के सामने से सरकारी योजना से अपीलान्ट को लाभ पहुंचान के लिए बाकायदा पक्की सड़क बनी हुई है फिर भी योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इन तथ्यों पर गौर नही कर उक्त आलौच्य आदेश पारित कर कानूनी मूल की है जो अपास्त होने योग्य है। अपीलान्ट के मकानो के थोड़ी दूरी पर पहाड़ी में खनन माफिया द्वारा अवैध रूप से खनन किया जाता है जिसकी शिकायत अपीलान्ट व अन्य लोगो द्वारा की गई तथा बाकायदा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेन्ट्रल जोन बैंच भोपाल में मुकदमा किया गया जिससे खनन माफिया नाराज होकर अपीलान्ट से रंजिश रखने लग गये और हल्का पटवारी व अन्य अधिकारियों से सांठ–गांठ करके बिना किसी आधार के अपीलान्ट के विरूद्ध यह गलत कार्यवाही करवाई गई है। अधिनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट की सही मानने में भारी कानूनी भूल की है पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट की साक्ष्य से साबित नहीं किया है। ग्राम पंचायत द्वारा इस बात का प्रमाण पत्र जारी किया गया है कि प्रश्नगत मकानात काफी पुराने है जिनके बाबत पट्टा प्राप्त करने हेतु पंचायत में पत्रावली विचाराधीन है तथा ग्राम पंचायत द्वारा पेयजल, साफ सफाई हेतु पाईपलाईन, पक्की सड़क, सिवरेज का कार्य भी किया हुआ है तथा किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नही है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 08.10.2025 का है जिसकी नकल लेने में 5 दिन का समय लग गया इस प्रकार अपील अन्दर मियाद पेश है। फिर भी यदि किसी कारण से अन्दर मियाद नही माना जावे तो दफा 5 मियाद अधिनियम का फायदा दिया जाना अपील अन्दर मियाद समाआत है।

अतः अपील स्वीकार की जाकर अदालत मातहत द्वारा दिनांक 08.10.2025 को पारित बेदखली आदेश को खारिज फरमाया जावे।

अपील न्यायालय में प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट को नोटिस भेजकर तामील की गई। मिसल मातहत तलब की जाकर बहस सुनी गई।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि राजस्व ग्राम मोडी स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 396/167 रकबा 3.21 हैक्टर के रकबा 0.0150 हैक्टर पर अप्रार्थी ने पक्का मकान बनाकर व चार दिवारी निर्माण कर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल अपीलान्ट को धारा 91 एल.आर. एक्ट के

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू

तहत नोटिस जारी किया गया। पहाड़ी पर खनन माफियाओं द्वारा आई.आर. मशीन एवं पोपलेण्ड भारी ब्लास्टिंग द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है जिससे बस्ती में बहुत से घरो में दरारे आ गई जिसके बाबत अवैध क्रेसर संचालको के खिलाफ न्यायालय एन.जी. टी. भोपाल में कार्यवाही की गई जिसमें न्यायालय एन. जी.टी. भोपाल द्वारा अवैध खनन संचालन को बन्द करने का आदेश दिया गया जिससे नाराज होकर अवैध क्रेशर संचालको ने पटवारी से मिलकर केवल मात्र 10 व्यक्तियों के खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। न्यायालय एन.जी.टी. भोपाल ने शिकायतकर्ता को बाकायदा मुआवजा थी दिलाये जाने का आदेश दिया गया है। कुछ अपील कर्ताओ के पास पंचायत द्वारा जारी किये गये पट्टे है कुछ ने पट्टे हेतु पंचायत में आवेदन कर रखा है। महत्वपूर्ण यह भी है कि जिस अतिक्रमण को हटाने बाबत आदेश दिया गया है उसमें से कुछ निर्माण कार्य सरकार द्वारा नरेगा के तहत करवाया गया है। अपील कर्ताओं के निर्माण र्का को गलत रूप से अतिक्रमण माना गया है। बस्ती के बीच में है अपील कर्ताओं के पूर्वजों के समय का है। अपील कर्ताओं के मकानो में पानी बिजली का कनेक्शन है तथा ग्राम पंचायत द्वारा पेयजल एवं साफ सफाई हेतु पाईप लाईन सड़क नालीया सिवरेज का कार्य किया हुआ है जिससे भी साफ जाहिर है कि अपीलान्ट ने कोई अतिक्रमण नही किया है। अपीलान्ट के पूर्वजों के समय से आबाद है काफी सालों पुराने पानी, बिजली के कनेक्शन है केवल मात्र अवैध क्रेशर संचालको से मिलकर गलत रिपोर्ट करवाई गई है। अपीलान्ट के पास रहने के लिये कोई और परिसर नहीं है।योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है। यहां तक की मौका पटवारी भी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है और ना ही उसकी कोई साक्ष्य लेखबद्ध हुई है रिपोर्टकर्ता पटवारी न्यायालय में उपस्थित आता तो अपीलान्ट को उससे जिरह करने का मौका मिलता जो नही मिला, रिपोर्टकर्ता पटवारी के न्यायालय में साक्षी के रूप में उपस्थित हुए बिना किसी भी दस्तावेज पर कोई प्रदर्श नही डल सकता और ना ही उसे पढ़ा जा सकता है अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई साक्ष्य पेश किये बिना ही पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात को साक्ष्य मानकर अपीलान्ट के विरूद्ध नियम विरूद्ध आदेश पारित किया है जो अपास्त होने योग्य है कानूनन जब तक किसी साक्षी के साक्ष्य पर दस्तावेज के सम्बन्ध में जिरह का अवसर नहीं मिलता है तो उसे नहीं पढ़ा जा सकता इस प्रकार अपीलान्ट को विपक्षी से कोई जिरह का अवसर नहीं मिला क्योकी विपक्षी की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में साक्ष्य के रूप में किसी को पेश ही नहीं किया गया इस प्रकार विपक्षी द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध कोई साक्ष्य पेश नहीं की है।पटवारी ने अवैध खनन माफियाओं से मिलकर उनके कहे अनुसार कार्यालय में बैठे–बैठे ही गलत रिपोर्ट पेश की है जिस पर न तो किसी गवाह के हस्ताक्षर है ना ही रिपोर्ट दर्ज करने का समय दर्ज है, ना ही तथाकथित अतिक्रमण की लम्बाई चौड़ाई का नाप दर्ज किया गया हे जिससे भी साफ जाहिर है कि रिपोर्ट मौके पर ना जाकर कार्यालय में ही बैठे–बैठे ही अवैध खनन माफियाओं के कहे अनुसार तैयार की गई है।अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को साक्ष्य पेश करने हेतु समुचित समय नही दिया और साक्ष्य बन्द कर दी जिसके कारण

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू

अपीलान्ट के साथ न्याय नही हो सका अधनीस्थ न्यायालय को अपीलान्ट को साक्ष्य पेश करने हेतु समुचित समय दिया जाना चाहिए था जो नही दिया गया जिससे अपीलान्ट न्याय से वंचित हो गये। यह कि अधीनस्थ न्यायालय को समुचित साक्ष्य ली जाकर निर्णय पारित करना चाहिए था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई साक्ष्य लिये केवल मात्र पटवारी की गलत रिपोर्ट के आधार पर बेदखल करने का आदेश दिया है जो अपास्त होने योग्य है।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया। मिसल अधीनस्थ न्यायालय के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में विवादित भूमि राजकीय है जिसकी किस्म गैर मुमकिन बजंड़– 2 है। तथा अदालत मातहत ने अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधि सम्मत कार्यवाही की है। अपीलांट द्वारा न तो अदालत मातहत तथा न ही न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है जिससे प्रकरण में विवादित भूमि पर अपीलांट का कब्जा वैध साबित होता हो।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण को धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 में प्रदत्त प्रावधानों के आलौक में अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतडी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.10.2025 मुकदमा संख्या 12/2025 उनवानी सरकार बनाम ओमप्रकाश पुत्र नागरमल अन्तर्गत धारा 91 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति मय मिसल अग्रिम कार्यवाही हेतु तहसीलदार खेतड़ी को प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अजय कुमार आर्य),
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुन्झुनूं